समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

<u>आदेश</u>

इस कार्यालय के ज्ञापांक 210/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री वीरेन्द्र मिश्र, पिता- स्व0 नरसिंह मिश्र, सा0+थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 04/1987(उदाकिशुनगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि वे उक्त अनुज्ञप्ति पर कतिपय कारणवश ससमय गन क्रय नहीं कर सके एवं अवधि विस्तारण हेतु अनुज्ञप्ति पुस्तिका वर्ष 1989 में शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा किया था, जो अब तक हस्तगत नहीं हो पाया है। उम्र अधिक हो जाने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द करवाना चाहते है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री वीरेन्द्र मिश्र को प्राप्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 04/1987(उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

चूँकि श्री मिश्र का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा में जमा है इसलिए प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 04/1987(उदाकिशुनगंज थाना) को शस्त्र पंजी में ''रद्द'' प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 52 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-2-14

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री वीरेन्द्र मिश्र, पिता- स्व0 नरसिंह मिश्र, सा0+थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा